न्यायालय सहायक कलक्टर (द्वितीय) ,सीकर

उनवान नारायणराम बनाम रूघाराम आदि

किस्म मुकदमा.....प्रार्थना पत्र.....मुकदमा नं..... 121/2022

ाक	आज्ञा पत्र	
05.2024	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। आवेदन के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि विवदित आराजियात खसरा नम्बर 146 रकबा 2.34 है0, खसरा नम्बर 147 रकबा 0.07 है0, खसरा नम्बर 148 रकबा 2.14 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 4.55 है0 वाकै ग्राम बिंजासी तहसील व जिला सीकर में अवस्थित है जिसमें प्रार्थी 7/18 हिस्सा का रिकार्डेड खातेदार है परन्तु वादग्रस्त सम्पूर्ण कृषि भूमि वर्ष 2006 के परिवारिक सेटलमेंट के तहत प्रार्थी के ही 16 वर्ष से निरंतर कब्जे में है। मृतक भवरी देवी का परिवारिक सेटलमेंट वर्ष 2006 के पश्चात वादग्रस्त कृषि भूमि में कोई हक हिस्सा नही रहा था तथा मृतक भंवरी देवी एवं आप्रार्थी संख्या 1 के हिस्सेदारी में दर्ज कृषि भूमि प्रार्थी के ही हक अधिकार की कृषि भूमि है जिस पर नामान्तरण संख्या 1270 प्रारम्भ से ही अवैध, शुन्य एवं प्रभावहीन है। नामान्तरण संख्या 1270 दिनांक 29.05.2020 में वर्णित कृषि भूमि संपूर्ण पर वर्ष 2006 से ही प्रार्थी का निरन्तर एवं निर्विवाद रूप से कब्जा है परन्तु चुनौतीग्रस्त नामान्तरण दर्ज एवं स्वीकृत करते समय कब्जा की जॉच नहीं की। इसलिए कब्जा के अभाव में भी चुनौतीग्रस्त नामान्तरण शुन्य दस्तावेज की श्रेणी में है। चुनौतीग्रस्त नामान्तरण बिना सुनवायी किये एवं प्रार्थी को बिना सूचना दिये अप्रार्थी संख्या 1 ने अन्यथा लाभ अर्जित करने के लिए बाला–बाला दर्ज एवं स्वीकृत करवा लिया जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धात के विपरित होकर अवैध होने के कारण निस्तारणीय है। वादग्रस्त कृषि भूमि सहदायिक कृषि भूमि है तथा सहदायिक/पैतृक कृषि भूमि में वर्ष 2005 को संशोधित हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के पूर्व पुत्रियों का पुत्रो के समान जन्म के साथ हिस्सा नही था बल्कि पुत्रों की ही पिता के समान हिस्सा था। जिस कारण प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं0 1 के जन्म के साथ ही पिता के समान हिस्सा प्राप्त हो गया था अर्थात वादग्रस्त कृषि भूमि वादग्रस्त कृषि भूमि में 1/3 हिस्सा प्रार्थी का जन्मजात से रहा है तथा 1/3 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 1 का रहा है तथा 1/3 हिस्सा प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 के पिता का था। जिस कारण प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 के जन्म के साथ ही पिता के समान हिस्सा प्राप्त हो गया तथा 1/3 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 1 का रहा एवं शेष 1/3 हिस्सा प्रार्थी एवं अप्रार्थी सख्या 1 के पिता का था जिस कारण उसके पास मृत्यु के समय 1/3 हिस्सा थी जो ही कानूनन कृषि भूमि छोडी थी। उक्त 1/3 हिस्सा में प्रार्थी एंव अप्रार्थी संख्या 1 की बहनो ने प्रार्थी एंव अप्रार्थी संख्या 1 एवं माता भंवरी देवी के पक्ष मे पारिवारिक एंव सामाजिक व्यवस्था के अनुसार हिस्सा का त्याग कर दिया था। जिस करण प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 के पिता द्वारा मृत्यु के समय छोड गया 1/3 हिस्सा की भूमि मे से 1/3 हिस्सा प्रार्थी एवं आप्रार्थी संख्या 1 को 1/3 हिस्सा तथा प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 की माता को प्राप्त हुआ अर्थात प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 की माता का वादग्रस्त भूमि में 1/3 हिस्सा नही होकर 1/9 हिस्सा पर ही खातेदारी वैध थी एवं उसने पारिवारिक सेटलमेंट में वर्ष 2006 से ही अपना संपूर्ण हिस्सा प्रार्थी के हक में छोड दिया था । इसलिए भी चुनौतिग्रस्त नामान्तरण प्रारम्भ से ही अवैध एंव शुन्य तथा प्रभावहीन होने के कारण निस्तारणीय है। वादग्रस्त कृषि भूमि संपूर्ण पर वर्ष 2006 से ही प्रार्थी का निरन्तर एवं निर्विवाद रूप से कब्जा है। अप्रार्थी संख्या 1 के मन में बेईमानी आ गयी जिसने पारिवारिक सैटलमेंट के विपरित जाकर नामान्तरण संख्या 1270 दर्ज एंव स्वीकृत करवाया एवं प्रार्थी के अलावा सभी अप्रार्थी संख्या 1 ता 9 का राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज करवा लिया एवं दिनांक 26.09.2022 को अजनबी व्यक्तियों को साथ लेकर वादग्रस्त कृषि भूमि को बेचान करने के उद्देश्य से इशारा करके दिखाने लगा जिसका प्रार्थी ने एतराज किया तो धमकी देने लगा कि " तेरे नाम से राजस्व रिकार्ड के दर्ज हिस्से की कृषि भूमि एवं बहिनों के नाम दर्ज हुई कृषि भूमि को भूमाफिया को बेचान कर देगा या किसी बैक से ऋण प्राप्त कर लूगा एवं मध्य वापस जमा नही कराने पर बैंक वाले कृषि भूमि को निलाम कर देगें तथा जबरन कब्जा भी करवा दुगां तुम मेरा कुछ नही बिगाड सकोगे,मर्जी आये सो करे।" इससे स्पष्ट हो गया कि अप्रार्थी संख्या 1 ने अन्य अप्रार्थीगण से संधि कर रखी है जो कि वादग्रस्त कृषि भूमि को वेस्ट, डेमेज एंव एलाईनेट करने पर आमादा है जिसका उन्हे कोई कानूनी अधिकार नही है फिर भी यदि अप्रार्थीगण अपने इस उद्देश्य में सफल हो गये तो प्रार्थी को इतनी असीमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति कभी नहीं हो सकेगी। इस कारण माननीय न्यायालय हाजा क समक्ष अस्थायी निषेधाज्ञा का आवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला सुदृढ है तथा सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है इसलिए अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थी की होती है आवेदन प्रस्तुत	

कर निवेदन है कि तादौरान दावा अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित फरमाया जावें की वे विवादित कृषि भूमि खसरा नम्बर 146 रकबा 2.34 है0, खसरा नम्बर 147 रकबा 0.07 है0, खसरा नम्बर 148 रकबा 2.14 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 4.55 है0 वाकै ग्राम बिंजासी तहसील व जिला सीकर के किसी भी भू–भाग पर प्रार्थी को जबरन ताकत के बल पर बेदखल नही करे एवं प्रार्थी के कृषि कार्य में बाधा नही डाले एवं गलत राजस्व रिकार्ड की आड मे बेचान करने, रहन रखने अन्यथा अंतरण करने से प्रतिबंधित रहे।

आवेदन पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किय गया। अप्रार्थी संख्या 10 ता 12 विधिवत तामील अनुपस्थित रहने पर इनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 9 की ओर से वकील अरूण कुमार सेवदा ने हाजिर होकर जवाब आवेदन पेश किया जिसकी प्रति प्रार्थी वकील को दिलवायी गई। वकील अप्रार्थीगण संख्या 1ता 9 ने आवेदन पत्र का बिन्दुवार जवाब पेश कर अंत मे निवेदन किया की विवादित आराजियात पर जवाब दाता अपने हिस्से पर कब्जा काश्त है एवं सुविधा का संतुलन अवाबदाता के पक्ष मे है। अस्थायी निषेधाज्ञा की आड में जवाबदाता को परेशान किया जा रहा है। जवाबदाता को अपनी जमीन की फसल पकी निराई जडाई आदि करने पर वादी द्वारा स्टे के नाम पर धमकाया जा रहा है। अतः परेशानी आ रही है एवं उपरोक्त जमीन का बाहमी बेदखल कर रखा है। प्रार्थी अपने 7/18 हिस्से पर काबिज है जिसमे जवाबदाता कोई दखलादाजी नही कर रहा है। बल्कि जवाबदाता जो अपने हिस्से पर काबिज है उसे वादी द्वारा परेशान किया जा रहा है। अस्थायी निषेधाज्ञा का आवेदन मय खर्चा खारिज करने की कृपा करे।

बहस आवेदन पत्र सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन पत्र के कथनो को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रथम दृष्टया का मामला सुदृढ है तथा सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है इसलिए अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थी की होती है। उसके विपरित अप्रार्थीगण वकील ने आवेदन पत्र के जवाब के बिन्दुओ को बहस के दौरान दोहराया तथा कथन किया की अपने हिस्से पर कब्जा काश्त है प्रार्थी अपने 7/18 हिस्से पर काबिज है जिसमे जवाबदाता कोई दखलादाजी नही कर रहा है। बल्कि जवाबदाता जो अपने हिस्से पर काबिज है उसे वादी द्वारा परेशान किया जा रहा है। अस्थायी निषेधाज्ञा का आवेदन मय खर्चा खारिज किया जावे।

न्यायालय ने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया। जमाबदी संवत 2076.79 ग्राम बिंजासी तहसील धोद जिला सीकर के अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 146, 147 व 148 किता 3 कुल रकबा 4.55 है0 की खातेदारी प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी में है प्राथी का हिस्सा 7/18 है एवं शेष खातेदारी में अप्रार्थी संख्या 1 ता 9 भी है। आवेदन स्थगन पर सर्वप्रथम यह देखना होता है कि प्रथम दृष्टया का मामला किस ओर है एवं सुविधा का संतुलन किस ओर है तथा स्थगन नहीं देने पर अपूर्णीय क्षति किसकी होती है। विवादित प्रकरण में प्रार्थी का हिस्सा 7/18 है इस कारण संपूर्ण हिस्से पर अपना कब्जा मानते हुये पाबंद नही करवा सकता है। प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया का मामला व सुविधा का सतुलन नही है तथा अपूर्णीय क्षति भी नहीं होती है। अप्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार है जिन्हे पावधं किया जाना न्यायोचित नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रथम दृष्टया का मामला, सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में प्रबल नहीं है चूकि अप्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है जिनको पांबद करना न्यायालय उचित नही समझता है। आवेदन अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर (द्वितीय)सीकर

यह फैसला मेरे द्वारा दिनांक 17.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (द्वितीय)